प्रेस विज्ञप्ति

01.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने 31.07.2025 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत केरल के कासरगोड में दो स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान कुन्हाहमद मुसलियार मेमोरियल ट्रस्ट, एक धर्मार्थ संगठन और उसके अध्यक्ष, एक अनिवासी भारतीय, द्वारा फेमा के प्रावधानों के संदिग्ध उल्लंघन और विदेशी अंशदान प्राप्त करने के संबंध में चलाया गया।

ईडी की जाँच से पता चला कि ट्रस्ट को 2021 की अवधि के दौरान अब तक इब्राहिम अहमद अली से 220 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हुए थे, जो खातों में असुरक्षित ऋण के रूप में दर्शाए गए थे। हालाँकि, कोई ऋण समझौता, ब्याज दर की शर्तें या पुनर्भुगतान अनुसूची उपलब्ध नहीं थी, और आज तक कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, इब्राहिम अहमद अली ने उक्त धनराशि मेसर्स यूनिवर्सल लुब्रिकेंट्स एलएलसी, एक यूएई-निगमीकृत कंपनी से प्राप्त की थी। सहायक दस्तावेज के अभाव में और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 की धारा 2(1)(एच) के तहत दिए गए स्पष्टीकरण के मद्देनजर, उक्त "ऋण" प्रथम दृष्टया एफसीआरए के तहत विदेशी अंशदान के रूप में योग्य है।

ट्रस्ट एफसीआरए के तहत पंजीकृत नहीं है और उसके पास विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य अनुमति या निर्दिष्ट एफसीआरए बैंक खाता नहीं है। इसके अलावा, इन विदेशी अंशदानों का एक हिस्सा मौजूदा नियमों का उल्लंघन करते हुए भारत में कृषि भूमि की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया पाया गया।

तलाशी के दौरान यह भी पता चला कि ट्रस्ट ने फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए एक अनिवासी भारतीय श्री इब्राहिम अहमद अली से 2.49 करोड़ रुपये नकद प्राप्त किए थे।

तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेज़, 220 करोड़ रुपये के असुरक्षित ऋण दिखाने वाले बही खाते, ट्रस्ट की कैश बुक और वित्तीय डेटा वाली एक हार्ड डिस्क जब्त की गई।

अब तक की गई जाँच से पता चलता है कि फेमा, 1999 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। आगे की जाँच जारी है।